IV 87

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6 NOV 2012

प्रमाणित फोटो

BB 120130

संजय कुमार राय पुत्र विन्ध्याचल राय
ग्रा० - देवा पो० - दुल्लहपुर पर० - शादियाबाद
तह० - जखनियाँ जिला - गाजीपुर

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30.11.12 को ग्राम–देवा पो0–दुल्लहपुर, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में **संजय कुमार राय पुत्र विन्ध्याचल राय ग्राम–देवा पो0–दुल्लहपुर, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0)** द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रूपया 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रतिसहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट **श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक/सचिव कहा जा सकेगा। न्यायकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष, सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाएँ ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया 10,000/–(दस हजार मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–देवा पो0–दुल्लहपुर, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ जिला– गाजीपुर (उ0प्र0) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–देवा पो0–दुल्लहपुर, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियाँ, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार आबद्ध घोषित किया जाता है।

 संजय कुमार राय

26/11/2012 900 6002

संजय कुमार राय पुत्र विन्ध्याचल राम ...
...

अनिल कुमार तिवारी

न्यायपत्र - 10000/-

200/- 50/- 250/- 3000

संजय कुमार राय विन्ध्याचल राम
खेती देवा आजमगढ़ जखनियाँ

30-11-12 2

3

संजय कुमार राय

उप निबन्धक 30-11-12
जखनिया

संजय कुमार राय पुत्र

दीनानाथ तिवारी खेती अनिल कुमार तिवारी
आजमगढ़ बौखड़ा

रामाश्रय भारद्वाज एड०

नोट- क्रेता ने निर्वाचन कार्ड दिया

संजय कुमार राय

अनिल कुमार तिवारी

उप निबन्धक
जखनिया
30-11-12

रामाश्रय भारद्वाज एड०

30-11-12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 120131

श्री रुद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट–1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

–: उद्देश्य एवं नियमावली :–

ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये केन्द्र सरकार व राज्य द्वारा सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों , पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध–आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधि कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

2 संजय कुमार

तिवारी
31-मार्च
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 907201

10. आई०आई०टी०, आई०टी०आई०, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्नीशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियां सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठकें, विशेष कक्षाएँ एड्स प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कोलेजों या अन्य संस्थाओं को उस व्यक्ति विशेष या सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा सहमत होने पर अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको अपने ट्रस्ट में समायोजित करना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना।

3 संजय कुमार

स्टाम्प विक्रेता ... तिवारी
लाईसेन्स नं० ... 31 मार्च
तहसील परिसर ... गाजीपुर

जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 907202

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
25. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना।
26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।
28. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
32. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
34. ट्रस्ट जन सामान्य के हितार्थ कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।
35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

4 संजय कुमार राय

मूल्य ... 26/11/2012

2002

तिवारी

...गाजीपुर

जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907203

36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
40. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
41. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।
42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
43. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया–कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **संजय कुमार राय** जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव **संजय कुमार राय** द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाये तो **संजय कुमार राय** की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी **श्रीमती किरण राय** तब तक इस ट्रस्ट की ट्रस्टी रहेंगी, जब तक कि **मेरा उत्तराधिकारी बालिग** न हो जाये।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

संजय कुमार राय

क्र० सं० 5006 मूल्य .... दि० ....
... 5000 .... के स्टाम्प वेण्डर
स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं० ... 31 मार्च 2012
तहसील परिसर ... -गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 907204

4. किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पदमुक्त करने की शर्तें निम्न हैं– मृत्यु, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों से ज्यादा सजा दिये जाने या पागल होने पर, दिवालिया होने पर, त्याग-पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव को प्रदत्त किया गया है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तदाधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

क्र० ६००६ मूल्य ५० ... ६००२

स्टाम्प विक्रेता, अनिल कुमार तिवारी
लाईसेन्स नं० ९८ [illegible] 31-मार्च
तहसील परिसर [illegible]-गाजीपुर

जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515370

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

क्र. सं.	नाम	पता	पद	पेशा
1.	संजय कुमार राय	देवा, दुल्लहपर, गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक /सचिव	समाज सेवा
2.	शारदानन्द	देवा, दुल्लहपर, गाजीपुर	अध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
3.	चन्द्रिका प्रसाद	बेचूलाल मंठिया, धानूपुर, गाजीपुर	उपाध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
4.	अरूण शंकर राय	3/208, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	उप सचिव ट्रस्टी	नौकरी
5.	गजेन्द्र शंकर राय	कोटवां नारायणपुर, बलिया	सदस्य ट्रस्टी	नौकरी
6.	अवधू राजभर	देवा, दुल्लहपर, गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	समाज सेवा

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष ट्रस्टी करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7 संजय कुमार राय

6002 20 11 2012

के साथ बेचा

6002

अनिल कुमार तिवारी

स्टाम्प विक्रेता, अनिल कुमार तिवारी
लाइसेन्स नं0-38 अवधि 31-मार्च
तहसील परिसर-जखनियाँ-गाजीपुर

गाजीपुर • उत्तर प्रदेश •

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515371

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का कार्यालय एवं सुविधाएँ :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्य क्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्ट के कार्य–कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

अध्यक्ष ट्रस्टी की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के विकास एवं प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।
2. यह कि अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाएँ एवं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. अध्यक्ष, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे।

संजय कुमार

क्र० सं० 6002 मूल्य 20 ता० [illegible] 2012

6002 के साथ बेचा

अखिल कुमार तिवारी

स्टाम्प विक्रेता, अखिल कुमार तिवारी

लाइसेन्स नं०-36 ता० अवधि 31-मार्च 2012

तहसील परिसर-ज़खनियाँ-गाजीपुर

ज़खनिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515372

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी समय, बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पद के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष ट्रस्टी की नियुक्ति :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के विकास के लिए एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा जो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे।

उप सचिव ट्रस्टी की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट की दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल के लिए एक उप सचिव ट्रस्टी अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उप सचिवों के वेतन भत्ते, सुविधाएँ, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी समय बिना कारण बताए उप सचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/ अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उनके अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

अध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. ट्रस्ट के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखना एवं उसका निर्देशन करना।
3. बैठकों में किसी प्रस्ताव या मामलों में मतदान होने पर निर्णय करना परन्तु यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव उक्त निर्णय से असहमत है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

क्र.सं. 6090 मूल्य 20 ता. 26.2012 (11)

... के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता, अनिल कुमार तिवारी

लाइसेंस ... अवधि 31-मार्च 012

... गाजीपुर

जिला गाजीपुर • उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AB 290775

उपाध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारों का प्रयोग करना एवं उनके उपस्थिति में उनके सभी आदेशों का पालन करना।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

क. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना।

ख. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

ग. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

घ. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

ङ. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

च. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों/संस्थाओं हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति,पदमुक्ति तथा उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/ अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।

छ. विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि के लिए आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।

ज. ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्ति करना।

झ. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन करना।

ट. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

ठ. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को करना।

संजय कुमार

बिक्री की ता० 24-11-05 मूल्य 10 रु. क्र.सं. 2011

स्टाम्प विक्रय करने का प्रयोजन .... शपथ

क्रे० का नाम व पता ..... श्री ...

स्टाम्प विक्रेता, अखिल कुमार तिवारी
लाईसेन्स नं0-36 ता0 अवधि 31-मार्च 06
तहसील परिसर-जखनियाँ-गाजीपुर

जखनियाँ जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AB 290776

ग्रुप सचिव ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके द्वारा दिये गये कार्यों/कर्तव्यों का उत्तरदायी ढंग से पालन करना।

बैंक एकाउण्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

विधिक कार्यवाही :–

यदि ट्रस्ट/संस्था की तरफ से कोई भी विधिक कार्यवाही की जाती है या ट्रस्ट/संस्था के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या पैरवी करने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख, बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

संजय कुमार

११ अक्टूबर १० २०१२

पृष्ठ

सन २००२ से आप

अखिल कुमार तिवारी

लखनिया जिला गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AB 290777

3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है। आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था को भूमि लीज(पट्टा) पर दे सकता है।
5. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति को प्रत्याभूत गाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

विशेष :–

क. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।)

बिक्री की तारीख [illegible] मूल्य 10 क्र.सं. [illegible]
स्टाम्प विक्रय करने का प्रयोजन [illegible]
क्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] जखनिया गाजीपुर

[illegible] जखनिया [illegible] गाजीपुर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 120143

कुल रु: सौ रुपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

संजय कुमार शर्मा

बिक्री की ता0 30 11 2012 ... 100 ... रु0 [illegible]

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता, अनिल कुमार तिवारी
लाइसेन्स नं0-36 [illegible] 2016
तहसील परिसर- [illegible] जीपुर

[illegible] जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AB 290778

श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है, कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

Rakesh Kumar Sharma

टंकणकर्ता
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण :-

नाम अनिल कुमार तिवारी
पुत्र श्री दीनानाथ तिवारी

पता ग्राम चौबड़ा पो० धर्मागतपुर
जि० गोरखपुर

संजय कुमार राय
(संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक)
श्री रूद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

नाम : [illegible]

पता : [illegible]

दिनांक : 30-11-2011

मसविदाकर्ता

संजय कुमार राय

बिक्री की ता० 26/11/2012 मूल्य ...10.... क्र.सं. 5078

स्टाम्प विक्रय करने का प्रयोजन ....कृषि..........

क्रेता का नाम व पता.. [illegible]

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता, अनिल कुमार सिंह

लाइसेन्स नं० [illegible] अवधि 31-मार्च 2012

तहसील परिसर-जखनियाँ-गाजीपुर

आज दिनांक 30.11.12 को फोटो स्टेट प्रति

पुस्तक नं० IV खण्ड 16 के पृष्ठ

51/78 ... पर ... 87

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबंधक

जखनियाँ

जखनियाँ जिला गाजीपुर

उत्तर प्रदेश